न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :–18/24

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
यूको बैंक नेहरू पार्क, सरदापुरा जोधपुरजरिये प्राधिकृत अधिकारी अंकुर गुप्ता		• मैसर्स जय शिव टेड्रिंग कम्पनी दुकान न 9 यूआईटी स्कीम खेतानाडी, मण्डोर रोड, जोधपुर • इन्द्रा देवडा पत्नी सुरेश देवडा मडोर मण्डी रेल्वे क्रोसिंग के पास, शिव मन्दिर के सामने मण्डोर • विकास देवडा पुत्र सूरेश देवडा मडोर मण्डी रेल्वे क्रोसिंग के पास, शिव मन्दिर के सामने मण्डोर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश दिनांक :–05.12.2024

उपस्थिति :–

1–चन्द्र सिंह राठोड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स जय शिव टेड्रिंग कम्पनी व अन्यकेविरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 50,00,000/–मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **विकास देवडा पुत्र सूरेश देवडा** की जायदाद **व्यावसायिक सम्पति दुकान संख्या 10, खेतानाडी योजना कृषि मण्डी के बाहर, रेल्वे क्रासिंग के पास मंडोर, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 150 वर्गफुट, जिसके उत्तर में अन्य सम्पति, दक्षिण में रोड पूर्व में दुकान संख्या 11 एवं पश्चिम में दुकान संख्या 9 आया हुआ,** को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज०)

तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 04.01.2024 तक 49,98,254.09/रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 50,00,000/–मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 04.01.2024 तक 49,98,254.09/रूपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसरोट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **विकास देवडा पुत्र सूरेश देवडा** की जायदाद **व्यावसायिक सम्पति दुकान संख्या 10, खेतानाडी योजना कृषि मण्डी के बाहर, रेल्वे कासिंग के पास मंडोर, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 150 वर्गफुट. जिसके उत्तर में अन्य सम्पति, दक्षिण में रोड पूर्व में दुकान संख्या 11 एवं पश्चिम में दुकान संख्या 9 आया हुआ,** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)